न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 335/2018

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इमरती पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

3. जोतराम पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. दसदथ पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. घनश्याम पुत्र जोताराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. आत्माराम पुत्र जोताराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. श्योपतराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. धनपत पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. रमेश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 38/32 के ख0न0 16 की 3.0220 हैक्ट, ख0न0 45 की 4.0340 हैक्ट, ख0न0 51 की 1.3530 हैक्ट कुल 8.4090 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 37/31 के ख0न0 14 की 4.8690 हैक्ट, ख0न0 15 की 8.7010 हैक्ट कुल 13.5700 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 बहिब कतई गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार है अर्थात 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। जबकि इनका नाम वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ बहिब कतई अनुचित व गलत तौर से दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का नाम सयुक्त तोर से दर्ज न होकर वादी व तरतीबी प्रतवादी संख्या 3 ता 9 के साथ बहिब कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है। अतः उक्त वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/9 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमांबदीया पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता स0 41/37 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 40/38 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। संशोंधित अर्जीदावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 बहिब कतई गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार है अर्थात 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। जबकि इनका नाम वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ बहिब कतई अनुचित व गलत तौर से दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का नाम सयुक्त तोर से दर्ज न होकर वादी व तरतीबी प्रतवादी संख्या 3 ता 9 के साथ बहिब कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है। रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता स0 41/37 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 1/[illegible] हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 40/38 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 40/38 की कुल 8.4090 हैक्ट भूमि में 1681/84090 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 8 प्रत्येक के नाम व 841/42045 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 9 प्रत्येक के नाम व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 41/37 के खाता स0 41/37 की कुल 13.5700 हैक्ट भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि वादी के व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 3 ता 6 व 9 प्रत्येक के तथा 543/27140 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 बहिब कतई गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार है अर्थात 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। जबकि इनका नाम वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के साथ बहिब कतई अनुचित व गलत तौर से दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का नाम सयुक्त तोर से दर्ज न होकर वादी व तरतीबी प्रतवादी संख्या 3 ता 9 के साथ बहिब कतई गलत तौर से दर्ज किया गया है। रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता स0 41/37 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 40/38 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री [illegible] जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता स0 41/37 [illegible] 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा ढाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लालखां तहसील नोहर के खाता स0 40/38 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 335/2018
अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इमरती पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

3. जोतराम पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. दसदथ पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. घनश्याम पुत्र जोताराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. आत्माराम पुत्र जोताराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. श्योपतराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. धनपत पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. रमेश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 335 सन 2018 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा ढाणी लालखां के खाता स0 41/37 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 40/38 में वादी को 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/90 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:55:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर